पत्रांक–5 / न०सु०–01 / 2025 / न०वि०आ० .....38.....

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

स्वीकृत्यादेश

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

सुनील कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
महालेखाकार का कार्यालय
पो०–डोरण्डा, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार

राँची, दिनांक–17/07/26

विषय:–वित्तीय वर्ष 2026–27 में सिमडेगा नगर परिषद अन्तर्गत Strengthening of Bituminous Road from St. Xavier's College to near WRD office (total length 1.70 Km) योजना हेतु कुल राशि 1,76,25,200/- रूपये (एक करोड़ छिहत्तर लाख पच्चीस हजार दो सौ रू०) मात्र के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: कार्यपालक पदाधिकारी, सिमडेगा नगर परिषद के पत्रांक–1087 दिनांक–09.04.2026 एवं दिनांक–16.04.2026 को अध्यक्ष, नगर परिषद सिमडेगा की अध्यक्षता में आहूत नगर परिषद बोर्ड की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियन्ता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची द्वारा सिमडेगा नगर परिषद अन्तर्गत Strengthening of Bituminous Road from St. Xavier's College to near WRD office (total length 1.70 Km) योजना हेतु कुल राशि 1,76,25,200/- रूपये (एक करोड़ छिहत्तर लाख पच्चीस हजार दो सौ रू०) मात्र के तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मुख्य अभियन्ता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसका मुख्य अवयव निम्नलिखित है:–

S.No	Particulars	Amount in Rs.P.
1	Strengthening of Bituminous Road	1,46,74,096.61
	Total	1,46,74,096.61
	ADD for GST @18%	26,41,337.39
	Total Including GST	**1,73,15,434.00**
	Add for Labour Cess @1%	1,73,154.34
	Contingency (1% upto 1 Cr. and 0.5% above 1 Cr.)	1,36,577.17
	GRAND TOTAL	**1,76,25,165.51**
	Say Rs.	**1,76,25,200/-**

2. स्वीकृत राशि का निकासी मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष –80–सामान्य–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–33–शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायय अनुदान–उप योजना शीर्ष–01–शहरी स्थानीय निकायों में परिवहन व्यवस्था–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48-S-2217-80-796-33-01-06-79 से विकलनीय होगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिमडेगा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी सिमडेगा, कोषागार से की जायेगी।

4. सिमडेगा नगर परिषद अन्तर्गत Strengthening of Bituminous Road from St. Xavier's College to near WRD office (total length 1.70 Km) योजना का कार्यान्वयन विभागीय आवंटनादेश संख्या 157 दिनांक–25.03.2026 द्वारा सिमडेगा नगर परिषद को आवंटित राशि से किया जाएगा, इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जाएगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। ऐसी स्थिति आने पर इसके निराकरण हेतु सूचना विभाग को ससमय देंगे।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561 दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

7. मुख्य अभियन्ता, तकनीकी कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक 113/त०को० दिनांक–21.10.2021 द्वारा विभिन्न योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु निश्चित समयावधि निर्धारित की गयी है, जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 3468 दिनांक 08.11.2021 द्वारा नगर निकायों को उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में योजना पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

8. उक्त योजना का कार्यान्वयन सिमडेगा नगर परिषद के द्वारा किया जाएगा। सिमडेगा नगर परिषद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशासनिक स्वीकृत योजना का खुली एवं प्रतिस्पर्द्धी निविदा के माध्यम से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कार्यान्वयन गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। उक्त योजना का कार्यान्वयन की भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को हर माह की 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17-4-26

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5/न०सु०–01/2025/न०वि०आ० 38 राँची, दिनांक– 17/04/26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सिमडेगा नगर परिषद/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा कोषागार/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-4-26

सरकार के प्रधान सचिव।